न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 25/2021

श्री शिवराम यादव 2/263 ए, चित्रकूट सेक्टर नं0 2 वेशाली नगर जयपुर राज0
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर टोंक
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 24-8-2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 24-6-2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

1- श्री अललतिम पुत्र श्री अब्दुल हमीद 298 मोहल्ला करोलियान वार्ड नं0 35 टोंक ने दिनांक 28-12-2020 को रा0उ0मा0 विद्यालय देवली टोंक में अनुपस्थितकार्मिक की वेतन राशि उठाने की शिकायत की थी जो कि कलेक्ट्रेट की पत्र प्राप्ति संख्या 4953 दिनांक 29.12.2020 पर दर्ज हुई है। उक्त शिकायत की कारवाई गई सम्पूर्ण जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति।

2- उक्त रा.उ.मा.वि. नगरफोर्ट देवली टोंक में फर्जी जांच टी.सी. जारी करने वालो को संरक्षक देने वालो की शिकायत दिनांक 28.12.2020 को की गई जो कि कलेक्ट्रेट के पत्र प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज संख्या 4954 दिनांक 29.12.2020 पर दर्ज है। इस शिकायत की कारवाई गई सम्पूर्ण जाचं की प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई एंव दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्र क्रमांक/सतर्कता/आरटीआई/2021/111 दिनांक 16-8-2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 741 दिनांक 7.7.2021 द्वारा अपीलार्थी को जरिये डाक से भिजवाई जा चुकी है, जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सम्पूर्ण जॉच रिपोर्ट की प्रतियॉ उपलब्ध नही करवाई गई है। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा नियमानुसार आवेदक को सूचित करना चाहिये था कि आप द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु 2 रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से राशि जमा करवा कर सम्पूर्ण जॉच रिपोर्ट की प्रतियॉ प्राप्त करें। किन्तु लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा ऐसा पत्र जारी नहीं किया गया ओर केवल 3 पृष्ठो की सूचना भिजवादी गई जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को वांछित सूचना निर्णय प्रति प्राप्ति के 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:42:09 IST
Reason: SelfAttested